

कार्यालय
आयकर आयुक्त
अलवर

दूरभाष: 0144-2705100/06 :: फैक्स: 0144-2705102/03


आदेश:

1	निर्धारिता का नाम	:	स्वास्थ्य मन्दिर योज एण्ड प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान
2	पता	:	ई-164, रणजीत नगर, भरतपुर
3	स्थाई खाता संख्या	:	AAJTS9714J
4	आदेश दिनांक	:	12.10.2012

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के तहत पंजीकरण

संस्था ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के तहत पंजीकरण हेतु आवेदन, निर्धारित प्रारूप, फार्म संख्या 10ए में भरकर दिनांक 24.05.2012 को इस कार्यालय में प्रस्तुत किया। अतः संस्था को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के तहत पंजीकृत किया जाता है। यह पंजीकरण दिनांक 01.04.2012 से मान्य होगा। प्रार्यना पत्र को धारा 12ए के तहत इस कार्यालय के प्रार्यना पत्र पंजिका में क्रमांक 248/29 पर दर्ज कर लिया गया है।

यह आदेश संस्था के विधान-पत्र में निहित उद्देश्यों को पूर्ण रूप से पालन करने की स्थिति में ही मान्य होगा तथा आपके मामले का आगामी पुनरीक्षण/समीक्षा किसी भी समय किया जा सकता है।



(वी. एस. खोसली)
आयकर आयुक्त,
अलवर

क्रमांक: आ.आ./अल./आ.अ.(मुख्या)/12ए/2012-2013/1727

दिनांक: 12.10.2012

प्रतिलिपी: -

1. श्रीमान् संयुक्त आयकर आयुक्त, भरतपुर रेण्ड, भरतपुर।
2. श्रीमान् सहायक आयकर आयुक्त, वृत्त-भरतपुर को निर्देश के साथ कि यह सुनिश्चित किया जाए कि समिति/ट्रस्ट/संस्था द्वारा नियमित रूप से आयकर विवरणी दाखिल की जा रही है।
3. संबंधित ट्रस्ट/संस्था/समिति।


(जी. एस. परिहार)
आयकर अधिकारी (मुख्यालय)
पूरे आयकर आयुक्त,
अलवर

कार्यालय
आयकर आयुक्त
अलवर

दूरभाष: 0144-2705100/03 :: फैक्स: 0144-2705103/02

आदेश:


1	निघारिती का नाम	:	स्वास्थ्य मन्दिर योग एण्ड प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान
2	पता	:	ई-164, रणजीत नगर, भरतपुर
3	स्थाई खाता संख्या	:	AAJTS9714J
4	आदेश दिनांक	:	12.10.2012

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के तहत छूट

संस्था ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के तहत छूट प्राप्त हेतु आवेदन, निघारित, प्रारूप फार्म संख्या 10जी में भरकर दिनांक 24.05.2012 को इस कार्यालय में प्रस्तुत किया।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के तहत आपको छूट दी जाती है। आपको दानकर्ता द्वारा दिया गया अनुदान उसके पक्ष में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी की छूट के अंतर्गत उक्त सीमा तथा शर्तों के अनुरूप होगा, जो कथित धारा में निहित है।

यह छूट प्रमाण पत्र निर्धारण वर्ष 2013-2014 से मान्य होगा एवं यह आदेश संस्था के विधान-पत्र में निहित उद्देश्यों को पूर्ण रूप से पालन करने की स्थिति में ही मान्य होगा तथा आपके मामले का आगामी पुनरीक्षण/समीक्षा किसी भी समय किया जा सकता है।



(वी. एस. कोहली)
आयकर आयुक्त,
अलवर

क्रमांक: आ.आ./अल./आ.अ.(मुख्या.)/80जी/2012-2013/1728

दिनांक: 12.10.2012

प्रतिलिपी: -

1. श्रीमान् संयुक्त आयकर आयुक्त, भरतपुर रेन्ज, भरतपुर।
2. श्रीमान् सहायक आयकर आयुक्त, वृत्त-भरतपुर को निर्देश के साथ कि यह सुनिश्चित किया जाए कि समिति/ट्रस्ट/संस्था द्वारा नियमित रूप से आयकर विवरणी दायित्व की जा रही है।
3. संबंधित ट्रस्ट/संस्था/समिति।


(जी. एस. परशर)
आयकर अधिकारी (मुख्यालय)
छूते आयकर आयुक्त,
अलवर

Donate for Welfare

Indian Donor Bank Details:-

Bank Name: - Oriental Bank of Commerce

A/c Name: - Swasthya Mandir Yog & Prakirtik Chikitsa Sansthan

A/c No. - 09502011001119

IFSC Code: - ORBC0100950